कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-211 दिनांक: 19/7/2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 25.वीं दिनांक..19/7/2002.का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0.25वीं दिनांक..19/7/2002..प्रात:/~~सायं~~.11:30.बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
3. श्री अशोक तंवर, विधायक
4. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
8. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
9. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
10. वंरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा,जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
12. उपायुक्त, जोन.....,जविप्रा,जयपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक संख्या 25वीं दिनांक 10-7-2002 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्न प्रकरणों पर भी विचार किया गया:-

(1) बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स. की योजना शिव नगर:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि योजना सम्पूर्ण खसरे पर प्रस्तावित की गयी है जबकि स्वामित्व आधे हिस्से पर है तथा हिस्सा विभाजित भी नहीं है। अत: योजना को निरस्त किया गया।

(2) पहाडगंज गृ.नि.स.स. की योजना केशव विहार:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि योजना सम्पूर्ण खसरे पर प्रस्तावित की गयी है जबकि स्वामित्व 1/6 हिस्से पर है हिस्सा विभाजित भी नहीं है। अत: योजना को निरस्त किया गया।

(3) भैरव गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि योजना का क्षेत्रफल 17201.32 व.ग. है जबकि समिति का स्वामित्व 15525.83 व.ग. पर है। क्रय किया गया हिस्सा विभाजित भी नहीं है तथा स्वामित्व स्पष्ट नहीं है। अत: वाद विचार-विमर्श योजना को निरस्त किया गया ।

(4) पहाडगंज गृ.नि.स.स. की योजना गजानन्द विहार:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि योजना सम्पूर्ण खसरे पर प्रस्तावित की गयी है जबकि स्वामित्व आधे हिस्से पर है तथा हिस्सा विभाजित भी नहीं है। अत: योजना को निरस्त किया गया ।

(5) इन्द्रा नगर गृ.नि.स.स. की योजना बलराम नगर:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया। सहकारी समिति का क्षेत्रफल 31752.95 व.ग. है जबकि समिति का स्वामित्व 16473 व.ग. अर्थात् लगभग आधे हिस्से पर है। अत: योजना को निरस्त किया गया।

(6) शिव शंकर हाउसिंग कॉपरेटिव सहकारी समिति: की योजना श्री राम वाटिका :-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा आवासीय क्षेत्रफल 77.5 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 15-3-2002 के निर्णय की पालना में समिति को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु जोन द्वारा नोटिस जारी किये गये परन्तु समिति ने संशोधित मानचित्र

प्रस्तुत नहीं किया। भूमि का भू-उपयोग भी इकोलॉजीकल है। वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

(1) उपायुक्त जोन सी-3 प्रश्नगत भूमि का तुरन्त भौतिक कब्जा ले और जयपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा दे।

(2) यदि इसके 7 दिवस में भी समिति संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं करती है तो जोन अपने स्तर पर 60:40 का अनुपात रखते हुए संशोधित योजना बीपीसी में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

(7) बुनियादी विकास गृ.नि.स.स. की योजना चेतक विहार:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा आवासीय क्षेत्रफल 76.02 प्रतिशत प्रस्तांवित किया गया है । भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 15-3-2002 के निर्णय की पालना में समिति को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु जोन द्वारा नोटिस जारी किये गये परन्तु समिति ने संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया। भूमि का भू-उपयोग भी इकोलॉजीकल है। वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

(1) उपायुक्त जोन सी-3 प्रश्नगत भूमि का तुरन्त भौतिक कब्जा ले और जयपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा दे।

(2) यदि इसके 7 दिवस में भी समिति संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं करती है तो जोन अपने स्तर पर 60:40 का अनुपात रखते हुए संशोधित योजना बीपीसी में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

(8) हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना राधिका विहार:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा आवासीय क्षेत्रफल 70 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 27-8-2002 के निर्णय की पालना में समिति को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु जोन द्वारा नोटिस जारी किये गये परन्तु समिति ने संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया। भूमि का भू-उपयोग भी इकोलॉजीकल है। वाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

(1) उपायुक्त जोन सी-3 प्रश्नगत भूमि का तुरन्त भौतिक कब्जा ले और जयपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा दे।

(2) यदि इसके 7 दिवस में भी समिति संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं करती है तो जोन अपने स्तर पर 60:40 का अनुपात रखते हुए संशोधित योजना बीपीसी में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

(9) पहाडगंज गृ.नि.स.स. की योजना विजय नगर:-

उपायुक्त जोन सी-3 द्वारा एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया। योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तो पर किया गया :-

(1) हाई वे कन्ट्रोल बैल्ट से प्रभावित भूखण्डों को नियमित नहीं किया जाये।

(2) एच.टी./एल.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों को नियमित नहीं किया जाये।

(3) आई.ओ.सी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों को नियमित नहीं किया जाये।

(4) आई.ओ.सी. लाईन को ध्यान में रखते हुए जोन स्तर पर रोड का रिएलायमेंट किया जाये।

(10) माधव गृ.नि.स.स. की योजना गोम्स डिफेन्स के भूखण्ड संख्या 120 के अनुमोदन के सम्बन्ध में:-

उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना का 80' चौडी सडक पर स्थित ब्लॉक (भूखण्ड संख्या 115,117,268, 273,264,237) में अनुमोदित लंबाई जितनी योजना मानचित्र में अनुमोदित की गयी थी उतनी ही मौके पर उपलब्ध है एवं भूखण्ड संख्या 120, भूखण्ड संख्या 237 के उपरान्त योजना का अंतिम भूखण्ड है जिसे योजना मानचित्र में पूर्व में नहीं दर्शाया गया था। अत: भूख्ण्ड संख्या 120 को अनुमोदित किया जावे एवं तदनुसार योजना मानचित्र में ब्लॉक का रिवीजन दर्शाया जावे।

(11) मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगरबी-162बी-162 II के संशोधन के संबंध में।

उपायुक्त जोन बी-6 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर एवं बताये गये तथ्यों पर विचार-विमर्श किया गया । उपायुक्त जोन द्वारा बताया गया कि मौके पर भूखण्ड संख्या बी-162 में जिसका मौके पर क्षेत्रफल 600 व.ग. है तथा जिसमें रोड का क्षेत्र 30'X 30' आवंटन क्षेत्र में शामिल किया गया है। उसमें वर्षो पुराना एक कुंआ व कोठी निर्मित है।भूखण्ड संख्या बी-162 II जिसका मौके पर क्षेत्रफल 500 व.ग. है, पर प्रार्थियों का कब्जा है तथा इनमें निर्माण किया हुआ है।इनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि दोनों भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाता है तो योजना में आवासीय क्षेत्रफल 55.94 प्रतिशत होता है जो कि नियमानुसार 60 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र से कम है।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी-162 I व बी-162 II को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि हयदि कुंआ उपयोग में नहीं आ रहा है तो इस क्षेत्र को प्रार्थी को दिया जा सकता है। इसकी जांच उपायुक्त जोन अपने स्तर पर कर ले तथा यह सुनिश्चित कर ले कि यह काम में नहीं आ रहा तथा आवंटन योग्य है।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 10.7.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना रजनी विहार के अनुमोदन के संबंध में।
2. आवासीय योजना कृष्णा विहार एवं अनिता कालोनी बी में सुविधा क्षेत्र अंकित भूखण्डों के नियमन के क्रम में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. अम्बेश्वर गृ.नि.स.स. की योजना रजनी विहार के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 3.7.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया गया एवं प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि -
   1. प्रकरण को स्थगित रखा जावें।
   2. इस योजना के आस पास यदि अन्य योजनाऐं हैं तो उनका भी Linkages दर्शाया जावें।
   3. टोंक रोड से योजना में Exact Approach, दूरी, Approach Road की चौडाई इत्यादि दर्शाया जावें।
   4. योजना में अन्य खातेदारी की भूमि में से प्रस्तावित सडकें दर्शायी गयी हैं अत: उनसे भी सहमति पत्र प्राप्त किये जावें।

2. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की कृष्णा विहार एवं बन्धु गृ.नि.स.स. की अनिता कालोनी बी आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र अंकित भूखण्डों के नियमन के क्रम में - उपरोक्त मामले पर विचार विमर्श पश्चात इस प्रकार के प्रकरणों को राज्य सरकार द्वारा सुविधा क्षेत्र से बहाल करने वाले भूखण्डों का नीतिगत निर्णय लिया जावें, तब तक ऐसे प्रकरणों को स्थगित किया जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25वीं बैठक दिनांक 10-7-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- नवजीवन गृ.नि.सं.स. को योजना गोपाल नगर बी के भू.सं. 66 को सुविधा क्षेत्र/लिंग रोड़ से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर (जोन-बी-2) :

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। भू.सं. 66 गोपालपुरा के भूखण्डधारी के मौके के फोटो-ग्राफ्स इत्यादि प्रस्तुत किये उनका समिति के सदस्यों ने अवलोकन किया तथा विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..25वीं....बैठक दिनांक..10-7-02.....
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- महेश नगर गृ.नि.स.स. की योजना महेश कालोनी के भू.सं. एम 62 का उपविभाजन स्वीकृत किए जाने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन-बी-2 :

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । चूंकि भूखण्ड के पीछे 20-0" चौड़ा रास्ता है । इसलिए चारों उपविभाजित भूखण्डों में रास्ता उपलब्ध होता है । विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने 20-0" चौड़ी सड़क की ओर 10-0" भू.सं. एम 61 की ओर 10' तथा 30-0" चौड़ी सड़क की ओर 10-0" का सैट बैक रखते हुए इन भूखण्डों का उपविभाजन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25वीं बैठक दिनांक 10-7-02 का कार्यवाही विवरण।

विषय:- भू.स. 103ए गौरव नगर स्वास्तिम गृ.नि.स.स. को नियमन किए जाने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर 7/5 A-1 :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों ने इस भूखण्ड की साइट निरीक्षण करने के पश्चात् आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लियागया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25वीं बैठक दिनांक 10-7-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- बजाज नगर ग.नि.सं.स. को योजना नं. 4 के भू.सं.J-42 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन ए-1 :

वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् सुविधा क्षेत्र से मुक्त किए जाने के संबंध में नितिगत निर्णय होने तक प्रकरण को स्थगित रखा जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25 वीं बैठक दिनांक 10-7-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पहाड़गंज गृ.नि.स.स.
2. योजना का नाम : श्यामा विहार के अनुमोदन के संबंध
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर : जोन- C-2

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 76.334 है सुविधा क्षेत्र बिल्कुल नहीं छोड़ा है । मौके पर अधिकांश भूमि रिक्त है । समिति ने विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि ~~अमोन~~ जोन द्वारा तैयार किए प्रस्ताव के अनुसार रिक्त भूखण्डों के क्षेत्र को कम करते हुए भू.सं. 17 से 22 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जाकर योजना को स्वीकृत किया जावें । चूंकि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है तथा भूखण्डधारियों ने आवासीय मकान का निर्माण बिना अनुमति के कर लिया है । इसलिए इस हेतु नियमन राशि के अतिरिक्त निर्धारित राशि ली जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25 वीं बैठक दिनांक 10-7-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार को आवासीय योजना
2. योजना का नाम : गुरूकुल महल रोड़ के अनुमोदन के संबंध में ।
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन C-2 :

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :-

1- योजना में 203.00 व.ग. अधिक भूमि है इसलिए इस क्षेत्र की राशि नियमानुसार ली जावें ।

2- योजना में 60% से अधिक आवासीय क्षेत्रफल को कम किया जावें ।

3- मौके पर योजना रिक्त है इसलिए योजना को स्वीकृति हेतु अध्यक्ष,जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाया जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25 वीं बैठक दिनांक 10-7-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- विश्वकर्मा नगर योजना समिति अधीन ग.नि.स.स. के वाणिज्यिक भू.सं. 44 से 51 को आवासीय उपयोग में परिवर्तन

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी करने के संबंध में ।
   समिति का नाम :
2. योजना का नाम : जोन B-5
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् भू.सं. 44 से 51 को आवासीय उपयोग न करने के संबंध में निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25वीं बैठक दिनांक 10-7-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति को स्कीम नं. 10 बी में संशोधन के संबंध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर : जोन B-5

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। स्कीम नं. 10बी योजना पूर्व में स्वीकृत योजना है जिसमें भू.सं. बी-8ए का क्षेत्र 444.44 व.ग. है तथा भू.सं. बी। से बी6 के सामने की 30-0" चौड़ी सड़क इस भूखण्ड पर बन्द हो जाती है मौके पर इस भूखण्ड में से 30-0" चौड़ी सड़क सीधी 40' चौड़ी सड़क में मिला दी गयी है। इसी प्रकार भू.सं. बी-7 के दक्षिण की ओर स्वीकृत योजना मानचित्र में अस्वीकृत किया हुआ है किन्तु मौके पर भू.सं. बी-7 के दक्षिण की ओर 25-0" सड़क मौके पर उपलब्ध है उसके बाद शेष क्षेत्र में भू.सं. बी 7-A सृजित किया है। समिति ने विचार-विमर्श पश्चात् एजेण्डा के साथ संलग्न स्केच के अनुसार 25' चौड़ी सड़क के दक्षिण की ओर भू.सं. बी-7 व 25-0" चौड़ी सड़क के उत्तर की ओर भू.सं. बी-7ए, भू.सं. बी-8 व इस भूखण्ड के उत्तर की ओर 30-0" चौड़ी सड़क को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25 वीं बैठक दिनांक 10-7-02

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- जल महल गृ.नि.स.स. की योजना विश्वकर्मा नगर द्वितीय के भू.सं. 231 से 240 को मौका स्थिति के अनुसार संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन - B-5 :

जोनल लेबल(जोन संख्या.............) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) ने समिति के समक्ष एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया । विश्वकर्मा द्वितीय के स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार भू.सं. 231 से 240 पर जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की योजना आयुवान सिंह नगर के भूखण्डों की ओवर लेपिंग है । जिसके कारण स्वीकृत योजना मानचित्र के पैरासिलिटी एरिया में कमी हुई है । मौके की स्थिति अनुसार भू.सं. 231 से 234 सड़क तथा पैरासिलिटी एरिया में पार्टली है तथा भू.सं. 235 से 240 तक के भूखण्ड पूर्णरूपेण से सड़क व पैरासिलिटी एरिया में है इसी प्रकार आयुवान सिंह नगर के स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शाये पैरासिलिटी एरिया में मौके पर भूखण्ड है। इस प्रकार दोनों योजनाओं में पैरासिलिटी एरिया में सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड सृजित किए जाने के कारण इनके खिलाफ जोन द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 25 वीं बैठक दिनांक 10-7-02
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- ज्योति जगजीवन गृ.नि.स.स. को योजना कल्याण कॉलोनी जवाहर लाल नेहरू मार्ग के संस्थानिक क्षेत्र में आने वाले भूखण्डों पर भवन निर्माण की रसीद दिए जाने के संबंध में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर जोन A-3 :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर संस्थानिक क्षेत्र के भूखण्डों को निर्माण स्वीकृती दिया जाना उचित नहीं है । इसलिए आवेदन को अस्वीकृत करें ।

जोन-सी-3

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर ।

विषय:- बीपीसी (एल.पी.) की बैठक संख्या 25/2002 दिनांक 10-7-02 को आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण ।

भू-उपयोग उपान्तरण प्रकरण:-

एजेण्डा आईटमनं. 1= ग्राम जामडोली तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 477/1/2/1 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण इकोलोजीकल जोन से संस्थानिक (वेटेनरी कालेज) किए जाने हेतु ।

प्रकरण पर समिति द्वारा गहन अध्ययन किया गया । बाद विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि का आवंटन राज्य सरकार के आदेशानुसार किया गया है तथा साईट प्लान आवेदक संस्था को उक्त भूमि का दिया जा चुका है । अतः प्रस्तुत साईट प्लान को आधार मानकर ही कार्यवाही की जावे ।

जयपुर विकास प्राधिकरण में वेटेनरी कालेज हेतु न्यूनतम कितनी भूमि चाहिए बाबत् जानकारी उपलब्ध नहीं है साथ ही आवेदक संस्था द्वारा भी इस हेतु कोई निर्धारित नार्म्स उपलब्ध नहीं करवाए गए है । अतः आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान में दर्शाए गए भूमि के क्षेत्रफल को ही भू-उपयोग हेतु माना जाए । समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के तहत जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की जावे ।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की 25वीं बैठक दिनांक 10-7-2002 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई,जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री अशोक तंवर, विधायक सदस्य
2. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य सदस्य
3. श्री हेमन्त मुरडिया, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर। सदस्य
4. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त(भूमि)पश्चिम,जविप्रा,जयपुर। सदस्य
5. श्री ए.एन.भार्गव,वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा,वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
3. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा,जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा,जयपुर।
5. श्री सुनील भाटी,उपायुक्त जोन बी-2,जविप्रा,जयपुर।
6. श्री हनुमान सिंह शेखावत,उपायुक्त जोन बी-7, जविप्रा,जयपुर।
7. श्री भीमा राम चौधरी, उपायुक्त जोन सी-2,जविप्रा,जयपुर।
8. श्री पी.सी. गुप्ता, उपायुक्त जोन सी-3, जविप्रा,जयपुर।
9. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन डी-1, जविप्रा,जयपुर।
10. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन डी-2, जविप्रा,जयपुर।
11. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-7, जविप्रा, जयपुर।
12. सहायक नगर नियोजक, जोन सी-3, जविप्रा, जयपुर।
13. सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर।
14. सहायक नगर नियोजक, जोन डी-1, जविप्रा, जयपुर।
15. सहायक नगर नियोजक, जोन सी-2, जविप्रा, जयपुर।